अपील सूचना अधिकार संख्या 90/2020 (RCMS 2020/00161) जय प्रकाश हरवानी, मकान नं. 157, पार्श्वनाथ सिटी, संगरिया पाल, बाईपास रोड, जोधपुर बनाम उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

19.10.2020

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी जयप्रकाश हरवानी स्वयं उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने आवेदन पत्र दिनांक 18.08.2020 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके बारह बिन्दुओं की सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने उसे गलत, झूठी व भ्रामक सूचनाएं उपलब्ध करवाई है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी जय प्रकाश हरवानी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 18.08.2020 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. प्रार्थीया का प्रकरण दोहरे आवंटन वाली कस्टोडियन भूमि से सम्बन्धी मूल पत्रावली 155 पृष्ठ जिला कलक्टर, श्रीगंगानर द्वारा जिला कलक्टर जैसलमेर को पत्रांक 1370–71 दिनांक 03.02.2016 को भेजना दर्शाया है उक्त पत्रावली को जैसलमेर भेजने सम्बन्धी आदेश की प्रति मय प्रमाण दे।
2. उक्त आदेश देने वाले अधिकारी का नाम व पद के सम्बन्ध में भी जानकारी दे।
3. प्रभारी अधिकारी (पुर्न0)श्रीगंगानगर ने पत्रांक 39 दिनांक 10.02.2012 को अवगत कराया था कि प्रार्थीया श्रीमति

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

ठाकीबाई बेवा माधवदास को 92.5 बीघा रकबा का आवंटन हुआ था तथा 67.15 बीघा रकबा की सनद सं. 6887 दिनांक 22.05. 1969 को जारी की गई। अतः यह सूचना दे कि उस वक्त कुल कितना बीघा रकबा जमाबन्दी में दर्ज की गई थी। मय प्रमाण सूचना दे।

4. उपरोक्त अधिकारी के पत्र अनुसार कुल कितना बीघा रकबा का दोहरा आवंटन हो गया था। मय प्रमाण सूचना दे।
5. शेष रकबा का जमाबन्दी में आवंटन दर्ज नही करने के तथ्यों की मय प्रमाण सूचना दे।
6. शेष दोहरे आवंटन वाली कस्टोडियन भूमि को प्राप्त करने की मय प्रमाण सूचना दे।
7. राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश एफ–2(67)पुनर्वास/64 दिनांक 05.02.1979 की प्रति दे।
8. उक्त निर्देश प्रार्थीया के प्रकरण में लागू होने की सूचना मय प्रमाण दे।
9. बिन्दु 1 में प्राप्त आदेश को Receiving Register में दर्ज करने की प्रति मय प्रमाण दें।
10. उपरोक्त प्रकरण से सम्बन्धित अन्य कोई आवश्यक जानकारी हो तो देवे।

    इस पत्र के साथ IPO NO. 48F 361112 संलग्न है।

11. दोहरे आवंटन वाली कस्टोडियन भूमि का निस्तारण अल्टरनेटिव आवंटन द्वारा किया जाना था। निष्क्रान्त (कस्टोडियन) कृषि भूमि के निस्तारण एंव पूर्व में आवंटियो को

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

खातेदारी अधिकारी प्रदान करने हेतु एक परिपत्र पत्रांक एफ. 1(15)राजस्व/पुर्नवास/2009 जयपुर 06.10.2009 को जारी हुआ था। उक्त परिपत्र के आधार पर प्रकरण निस्तारण नही करने के तथ्यों की सूचना मय प्रमाण दे।

12. संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–10/पुर्न0) विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ.2(51)राज–10/पुर्न0/2009 दिनांक 03.03.2020 पर दिये गये जवाब की प्रति मय प्रमाण दे।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आरटीआई/2020/272 दिनांक 10.08.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के साथ आपका आवेदन पत्र सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त हुआ है। आप द्वारा चाही गयी सूचना निम्नानुसार है –

1. बिन्दु संख्या 1 के सम्बन्ध में पत्र क्रमांक 1370–71 दिनांक 03.02.2016 की चित्रप्रति संलग्न है।
2. बिन्दु संख्या 2 के सम्बन्ध में उक्त आदेश तत्कालीन प्रभारी अधिकारी पुर्नवास कलेक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा जारी किये गये।
3. बिन्दु संख्या 3 से 11 सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पंहुच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अभिलेखों में उपलब्ध हो। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करनो लोक सूचना अधिकारी का काम नही है।

4. बिन्दु संख्या 12 के सम्बन्ध में श्रीमान संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप 10/पुर्न.)/विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ2(57)राज–10/पुर्न/2009 दिनांक 03.03.2020 व स्मरण पत्र दिनांक 02.06.2020 के सन्दर्भ में इस कार्यालय द्वारा दिये गये प्रति उत्तर क्रमांक 215 दिनांक 20.07.2020 की प्रति संलग्न है।

-sd-
सहायक लोक सूचना अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का जवाब उक्तानुसार प्रार्थी को दिनांक 10.08.2020 से लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो **निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है।** इसलिए **उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 10.08.2020 से अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं।** इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः **उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर